



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244447
CG-DL-E-17032023-244447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]
No. 157]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

सा.का.नि. 196(अ).— भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार केंद्रीय भाण्डागारण निगम नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये तारीख 01 अप्रैल, 2023 को या इसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय भाण्डागारण निगम नियम, 1963 में नियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- “45 लेखाओं और तुलन पत्र का वार्षिक विवरण**
- (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष के मार्च माह के अंतिम दिन को निगम के वित्तीय विवरण को संतुलित कराएगा और इस प्रकार के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 129 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में तैयार किए जाएंगे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित समेकित वित्तीय विवरण की अपेक्षा और इसके अधीन अधिसूचित लेखा मानक लागू नहीं होंगे।”

[फा. सं. 9-45/2021-एसजी-1]

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

नोट: मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 635 तारीख 13 अप्रैल 1963 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के माध्यम से संशोधित किए गए:-

1. सा. का. नि. संख्या 295 तारीख 27.02.1964
2. सा. का. नि. संख्या 1266 तारीख 31.08.1964
3. सा. का. नि. संख्या 1481 तारीख 29.09.1964
4. सा. का. नि. संख्या 649 तारीख 15.04.1965
5. सा. का. नि. संख्या 56 तारीख 02.01.1967
6. सा. का. नि. संख्या 612 तारीख 18.03.1968
7. सा. का. नि. संख्या 1252 तारीख 17.08.1970
8. सा. का. नि. संख्या 1297 तारीख 15.07.1970
9. सा. का. नि. संख्या 1371 तारीख 07.12.1973
10. सा. का. नि. संख्या 683 तारीख 21.05.1975
11. सा. का. नि. संख्या 143 तारीख 12.01.1976
12. सा. का. नि. संख्या 811(अ) तारीख 22.09.1976
13. सा. का. नि. संख्या 1399 तारीख 09.11.1978
14. सा. का. नि. संख्या 58 तारीख 28.12.1979
15. सा. का. नि. संख्या 289(अ) तारीख 10.04.1981
16. सा. का. नि. संख्या 663(अ) तारीख 05.11.1982
17. सा. का. नि. संख्या 19(अ) तारीख 19.01.1986
18. सा. का. नि. संख्या 498(अ) तारीख 14.05.1987
19. सा. का. नि. संख्या 868(अ) दिनांक 23.10.1987
20. सा. का. नि. संख्या 435(अ) तारीख 05.04.1990
21. सा. का. नि. संख्या 644(अ) तारीख 20.09.1990
22. सा. का. नि. संख्या 295(अ) तारीख 22.04.2002
23. सा. का. नि. संख्या 704(अ) तारीख 15.11.2006
24. सा. का. नि. संख्या 732(अ) तारीख 30.11.2006
25. सा. का. नि. संख्या 432(अ) तारीख 12.06.2007

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2023

G.S.R.196(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come in to force on or after 1st April 2023.

2. In the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, for rule 45, the following rule shall be substituted, namely:-

“45. Annual Statement of Accounts and Balance Sheet

(1) The Board shall cause the financial statements of the Corporation to be balanced on the last day of the month of March in each year and such financial statements shall be prepared in the manner specified in sub-section (1) of section 129 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(2) The requirements of consolidated financial statements as required under the provisions of Companies Act 2013 and Accounting Standards notified thereunder shall not be applicable.”

[F. No. 9-45/2021-SG-I]

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R.635 dated 13th April 1963 and subsequently amended vide following notification numbers:-

1. No.G.S.R. No. 295 dated 27-02-1964
2. No.G.S.R. No. 1266 dated 31-08-1964
3. No.G.S.R. No. 1481 dated 29-09-1964
4. No.G.S.R. No. 649 dated 15-04-1965
5. No.G.S.R. No. 56 dated 02-01-1967
6. No.G.S.R. No. 612 dated 18-03-1968
7. No.G.S.R. No. 1252 dated 17-08-1970
8. No.G.S.R. No. 1297 dated 15-07-1970
9. No.G.S.R. No. 1371 dated 07-12-1973
10. No.G.S.R. No. 683 dated 21-05-1975
11. No.G.S.R. No. 143 dated 12-01-1976
12. No.G.S.R. No. 811(E) dated 22-09-1976
13. No.G.S.R. No. 1399 dated 09-11-1978
14. No.G.S.R. No. 58 dated 28-12-1979
15. No.G.S.R. No. 289(E) dated 10-04-1981
16. No.G.S.R. No. 663(E) dated 05-11-1982
17. No.G.S.R. No. 19(E) dated 19-01-1986
18. No.G.S.R. No. 498(E) dated 14-05-1987
19. No.G.S.R. No. 868(E) dated 23-10-1987
20. No.G.S.R. No. 435(E) dated 05-04-1990
21. No.G.S.R. No. 644(E) dated 20-09-1990
22. No.G.S.R. No. 295(E) dated 22-04-2002
23. No.G.S.R. No. 704(E) dated 15-11-2006
24. No.G.S.R. No. 732(E) dated 30-11-2006
25. No.G.S.R. No. 432(E) dated 12-06-2007